न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर(चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–124/20.20

1. स्व. दुलाराम पुत्र स्व. पुरखाराम जाति जाट निवासी ग्रम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

   1/1. सुखी देवी पत्नि स्व. दुलाराम जाति जाट निवासी ग्रम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

   1/2 राधा पुत्री स्व. दुलाराम जाति जाट निवासी ग्रम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

   1/3 रूखमण पुत्री स्व. दुलाराम जाति जाट निवासी ग्रम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

   1/4 लिछमा पुत्री स्व. स्व. दुलाराम जाति जाट निवासी ग्रम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

   1/5 मैना पुत्री स्व. दुलाराम जाति जाट निवासी ग्रम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

   1/6 मंजू पुत्री स्व. दुलाराम जाति जाट निवासी ग्रम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

   1/7 प्रेम पुत्र स्व. दुलाराम जाति जाट निवासी ग्रम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

   1/8 भंवरी पुत्री स्व. दुलाराम जाति जाट निवासी ग्रम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. नेमादेवी पुत्री पुरखाराम पत्नि कानाराम जति जाट आयु ... वर्ष निवासी सांडवा तहसील बीदसर हाल निवासी ग्राम मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. नाथी पुत्री पुरखाराम पत्नि चेनाराम जति जाट आयु ... वर्ष निवासी सांडवा तहसील बीदसर हाल निवासी ग्राम जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर राजस्थान
3. मोहनी पुत्री पुरखाराम पत्नि डूंगरराम जति जाट आयु ... वर्ष निवासी सांडवा तहसील बीदसर हाल निवासी ग्राम धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
4. शांती पुत्री पुरखाराम पत्नि लिछमणराम जति जाट आयु ... वर्ष निवासी सांडवा तहसील बीदसर हाल निवासी ग्राम सरूडी तहसील लोसल जिला सीकर राजस्थान
5. केशरदेवी पत्नि हनुमानाराम जति जाट आयु ... वर्ष निवासी सांडवा तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान
6. कालुराम पुत्र हनुमानाराम जति जाट आयु ... वर्ष निवासी सांडवा तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान
7. गीता पुत्री हनुमानाराम पत्नि राजूराम जति जाट आयु ... वर्ष निवासी सांडवा तहसील बीदसर हाल निवासी ग्राम रूपेली तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
8. मैना पुत्री हनुमानाराम पत्नि अमरचंद जति जाट आयु ... वर्ष निवासी सांडवा तहसील बीदसर हाल निवासी ग्राम रूपेली तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
9. मनोज नाबालिग उम्र ...... वर्ष
10. संजू नाबालिग उम्र ..... वर्ष

    पुत्र/पुत्री हनुमानाराम जाति जाट निवासी गाम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान जरिये अपनी माता एंव प्राकृतिक सरंक्षिका श्रीमती केशर देवी पत्नि हनुमानाराम जाति जाट निवासी ग्राम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राजस्थान
12. उपंजियक बीदासर, तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

प्रतिवादीगण

लगातार 2 पर

Scanned by CamScanner

"राजस्व वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन हेतु"

उपस्थित :–

1. वादीगण संख्या 1/1 ता 1/8 अनुपस्थित
2. रघुवीर भांभू एडवोकेट – वास्ते प्रतिवादीगण
3. प्रतिवादी संख्या 11– पेरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 20-10-2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य मूल वाद व क्रोस वाद इस प्रकार है कि वादीगण 1/1 ता 1/8 एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के संयुक्त खातेदारी एंव कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा नं. 141 तादादी 5.0965 हैक्टेयर, वाके रोही सांडवा में स्थित है। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10 का संयुक्त 1/6 हिस्सा की खातेदारी भूमि है एंव स्व. दुलाराम के विधिक वारीसान वादीगण संख्या 1/1 ता 1/8 का संयुक्त 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने काफी अरसे पूर्व मौखिक विभाजन कर लिया था। वादगत खेत पर वादी तथा प्रतिवादीगण संख 1 ता 10 का संयुक्त कब्जा काश्त रहा है वादगत खेत पुश्तैनी आधार पर वादी एंव प्रतिवादीगण को मिला हुआ है अब वादीगण एंव प्रतिवादीगण 1 ता 10 अलग अलग परिवारों में रहने लग गये है परन्तु राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी व अक्स में भूमि संयुक्त रूप से दर्ज है। जिसमें वादीगण एंव प्रतिवादीगण का खान पान, लेन देन, रहन सहन सब अलग अलग है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण का अपनी हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन आपसी तौर पर किया हुआ है तथा अलग अलग सिंवें कायम है परन्तू वादगत खेत कि खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है। जिसके कारण वादीगण को कई प्रकार की कानूनी आपतीयों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवादीगण सिंवों को लेकर विवाद करते रहते है जिसके कारण वादीगण अपने हिस्से पांती व कब्जा काश्त के वादगत खेत में अपने हिस्सा पांती भूमि खातेदारी की विधिवत आधार पर विभाजन करवाकर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अपने नाम से पृथक दर्ज करवाकर लगान का विभाजन करवाना चाहते है जिसके वादीगण कानूनी अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार आपसी तौर पर वादगत खेतों कि खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वो टालम टोल करते रहे। प्रतिवादीगण वादगत खेत की सिंव को काटकर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानियां धमकीयां देते है कि वादगत खेत में तुम्हारा जो हिस्सा है उस पर हम जबरन कब्जा करेंगे, प्रतिवादीगण ने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है तथा अवैध निर्माण, रहन, विक्रय आदि करने पर आमदा व उतारू हो गये। वादीगण ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 20/09/2020 को निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया वादगत खेतों का जब तक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेत का बिना विधिगत विभाजन करवाये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत कि खातेदारी शामीलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता आदि आदि वाद पेश किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 विधिवत तामील के बाद हाजीर अदालत आये व वादीगण के वादपत्र का जबाव पेश किया व साथ ही क्रोस दावा भी पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा नंबर 141 तादादी 5.0965 हैक्टेयर वाके रोही सांडवा में स्थित है जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10 का संयुक्त 1/6 हिस्सा व स्व. दुलाराम के विधिक वारीसान वादीगण संख्या 1/1 ता 1/8 का संयुक्त 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 ने काफि अरसा पूर्व मौखिक विभाजन किया, मौखिक विभाजन के मुताबिक प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा भूमि खसरा नं. 141 में उतरी ओर कि भूमि हिस्से पांति व भाई बंटवारा व कब्जा काश्त में

लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

आयी व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा भूमि एंव प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10 की संयुक्त 1/6 हिस्सा भूमि पूर्वी दक्षिणी तरफ कूंट में हिस्से पांति व भाई बंटवारा में एंव स्व. दुलाराम के विधिक वारीसान वादीगण संख्या 1/1 ता 1/8 के पति व पिता के 1/6 हिस्सा भूमि पश्चिमी दक्षिणी कूंट में हिस्से पांति व भाई बंटवारे में आई। बिच में पुख्ता सींवें कायम कर रखी है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 ने अपने अपने हिस्से पांति भाई बंटवारा में आई भूमि को काश्त करते व फसल लाटते आ रहे है व इसी प्रकार आज दिन इसी प्रकार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का वादगत भूमि में अलग अलग विभाजन किया जाकर लगान कायम किया जावे का जबाव पेश किया व इसी प्रकार क्रोस सूट पेश किया व प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 की ओर से पेरोकार राज ने प्रकरण में अपने जबाव राजहित निहित नहीं होना अंकित किया।

वादी दुलाराम का दावा के विचाराधिन समय में देहान्त हो गया, प्रतिवादीगण ने अपने क्रोस सूट में वादी के विधिक वारीसानों को प्रतिवादी के रूप में पतिवादी संख्या 1/1 से 1/8 के रूप में पक्षकार संयोजित किये है इसी प्रकार वादी के अधिवक्क्ता कि ओर से एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26/04/2022 को पेश किया है जिसमें वादी स्व. दुलाराम का फोत हो जाना अंकित करते हुए वादी के विधिक वारीसानों को रेकार्ड पर लेने का निवेदन फरमाया है। इसी प्रकार दिनांक 17/08/2022 को वादीगण संख्या 1/1 से 1/8 कि ओर से कोई अधिवक्ता या वादीगण स्वयं हाजीर अदालत नहीं आने के कारण वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारीज किया गया लेकिन वादपत्र में मूल वादपत्र में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 व क्रोस सूट के वादीगण 1 ता 10 की ओर से वादपत्र संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करने का पेश किया जिस पर मूल दावा के प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को सुना गया, वादपत्र में अन्य कोई उपस्थित नहीं होने पर तनकीयात कायम नहीं की गई। मूल दावा के प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली गई। प्रतिवादीगण की ओर से पी.डब्ल्यू 1 नेमादेवी व पी. डब्ल्यू 2 केशरदेवी के बयान लेखबद्व करवाये व प्रतिवादीगण की ओर जमाबन्दी सम्वत 2076–79 खसरा नंबर 141 रोही सांडवा जो प्रदर्श– 1 व नक्शा अक्स खसरा संख्या 141 रोही सांडवा जो प्रदर्श 2 है पेश किये। अन्य कोई मूल दावा के वादीगण की ओर से कोई हाजीर नहीं होने के कारण साक्ष्य नहीं करवायी जा सकी।

बहस विद्वान अधिवक्ता मूल दावा के प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 व क्रोस सूट के वादीगण 1 ता 10 की सुनी गई जिसमें वकील मूल दावा के प्रतिवादी ने निवेदन किया की प्रस्तूत दस्तावेज प्रदर्श 1 से बखुबी प्रमाणीत है कि मूल दावा के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 संयुक्त खातेदार काश्तकार है पक्षकारों के मौखिक विभाजन के मुताबिक मूल दावा के प्रतिवादीगण संख्या 1 नेमा देवी, प्रतिवादी संख्या 3 मोहनी, प्रतिवादी संख्या 4 शान्ति का खेत खसरा नंबर 141 तादादी 5.0965 हैक्टेयर वाके रोही सांडवा उतरी ओर की हिस्सा पांति भाई बंटवारा में आई हुई है व प्रतिवादीगण संख्या 2 नाथी देवी का 1/6 हिस्सा भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10 का संयुक्त 1/6 हिस्सा भूमि पूर्वी दक्षिणी कूंट में कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में है व वादी स्वर्गीय दुलाराम जो क्रोस सूट के प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/8 के संयुक्त 1/6 हिस्सा भूमि पश्चिमी दक्षिणी कूंट में हिस्सा पंति व कब्जा काश्त में चली आ रही है व इसी प्रकार पक्षकारों का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार 4 पर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया गया। वकील मूल दावा के प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई व प्रस्तूत दस्तावेज प्रदर्श 1 व 2 एंव प्रतिवादीगण के बयानों का भली भांती अवलोकन किया जिससे यह प्रमाणीत है कि स्व. दुलाराम के विधिक वारीसान वादीगण संख्या 1/1 से 1/8 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 वादगत खेत खसरा संख्या 141 तादादी 5.0965 है. वाके रोही सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनका विभाजन इस प्रकार कि खेत खसरा नंबर 141 रोही सांडवा में मूल दावा के प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा भूमि उतरी ओर कि भूमि हिस्से पांति व भाई बंटवारा में आयी व मूल दावा के प्रतिवादीगण संख्या 2 का 1/6 हिस्सा भूमि एंव प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10 की संयुक्त 1/6 हिस्सा भूमि पूर्वी दक्षिणी तरफ कूंट में हिस्से पांति व भाई बंटवारा व कब्जा काश्त में चली आ रही है एंव वादी स्व. दुलाराम के विधिक वारीसान वादीगण संख्या 1/1 ता 1/8 के हिस्सा पांति भूमि 1/6 हिस्सा भूमि पश्चिमी दक्षिणी कूंट में हिस्से पांति व कब्जा काश्त में है, का विभाजन कर अलग लगान कायम किया जावे इस प्रकार संयुक्त खातेदारी का विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जाना उचित है।

आदेश

मूल दावा के प्रतिवादीगण का वाद प्रारंभिक रूप से इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नं. 141 तादादी 5.0965 हैक्टेयर वाके रोही सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू में प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा भूमि उतरी ओर कि भूमि हिस्से पांति व प्रतिवादीगण संख्या 2 का 1/6 हिस्सा भूमि एंव प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10 की संयुक्त 1/6 हिस्सा भूमि पूर्वी दक्षिणी कूंट में हिस्से पांति एंव वादी स्व. दुलाराम के विधिक वारीसानो वादीगण संख्या 1/1 ता 1/8 के पति व पिता के 1/6 हिस्सा भूमि पश्चिमी दक्षिणी कूंट में हिस्सा की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अलग दर्ज कर अलग–अलग लगान कायम किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे कि विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। इस प्रकार प्रारंभिक डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 20/10/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर, चूरू

Scanned by CamScanner